न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2026

स्टेट जरिये मनीष सिंगला प्रवर्तन निरीक्षक, हनुमानगढ़

--प्रार्थी

बनाम

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री जसवंत सिंह गिल सर्विस स्टेशन गांव मानकसर, संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

--अप्रार्थी

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ (राज.)

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी. एक्ट

उपस्थितः–1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि.।
2 अप्रार्थी स्वयं।

–ःनिर्णयः–

दिनांकः –12.05.2026

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन निरीक्षक हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.02.2026 को जिला रसद अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ हमराह मन श्री मनीष सिंगला प्रवर्तन निरीक्षक व श्री पुरूषोत्तम प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू गेस के व्यवसायिक उपयोग/कालाबाजारी की जांच बाबत गिल सर्विस स्टेशन गांव मानकसर, तहसील संगरिया पर पहुंच कर जांच की गई। मौके पर उपस्थित श्री सतीश कुमार पुत्र श्री जसवंत सिंह ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक बताया तथा मौके पर उपस्थित रहकर जांच करवायी। जांच के दौरान 07 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। जिसके संबंध में पूछने पर श्री सतीश कुमार ने बताया कि वह घरेलु गैस सिलेण्डरों का कालाबाजारी के आधार पर विक्रय करता है जिसके तहत वह 20 से 30 रूपये अतिरिक्त वसूल करता है तथा उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर के संबंध में कोई दस्तावेज भी श्री सतीश कुमार द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक स्थल पर अवैध भण्डारण तथा बेचान करने पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ख) उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाया गये 07 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किये गये तथा उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर श्री इन्द्रजीत पुत्र श्री नक्षत्र सिंह मैनेजर, गुरूनानक गैस एजेन्सी लीलांवाली संगरिया की सुपुर्दगी में दिए गए। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त 07 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने व विस्फोटक सामग्री होने के कारण अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ।

अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि प्रार्थी की एक वर्कशॉप (वाहन धुलाई सर्विस की दुकान) है, जहाँ वाहनों की धुलाई एवं मरम्मत का कार्य किया जाता है। उक्त 07 गैस सिलेंडर प्रार्थी के नहीं हैं। कुछ व्यक्तियों द्वारा ये सिलेंडर प्रार्थी की दुकान पर रख दिए गए थे। जिस समय सिलेंडर दुकान पर रखे गए, उस समय प्रार्थी स्वयं दुकान पर उपस्थित नहीं था। दुकान पर कार्य करने वाला लड़का अपने काम में व्यस्त

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2026

स्टेट जरिये मनीष सिंगला प्रवर्तन निरीक्षक, हनुमानगढ़

--प्रार्थी

बनाम

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री जसवंत सिंह गिल सर्विस स्टेशन गांव मानकसर, संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

--अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी. एक्ट

उपस्थितः–1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि.।
2 अप्रार्थी स्वयं।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.) सत्यमेव जयते

–ःनिर्णयः–

दिनांकः –12.05.2026

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन निरीक्षक हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.02.2026 को जिला रसद अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ हमराह मन श्री मनीष सिंगला प्रवर्तन निरीक्षक व श्री पुरूषोत्तम प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू गैस के व्यवसायिक उपयोग/कालाबाजारी की जांच बाबत गिल सर्विस स्टेशन गांव मानकसर, तहसील संगरिया पर पहुंच कर जांच की गई। मौके पर उपस्थित श्री सतीश कुमार पुत्र श्री जसवंत सिंह ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक बताया तथा मौके पर उपस्थित रहकर जांच करवायी। जांच के दौरान 07 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। जिसके संबंध में पूछने पर श्री सतीश कुमार ने बताया कि वह घरेलु गैस सिलेण्डरों का कालाबाजारी के आधार पर विक्रय करता है जिसके तहत वह 20 से 30 रूपये अतिरिक्त वसूल करता है तथा उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर के संबंध में कोई दस्तावेज भी श्री सतीश कुमार द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक स्थल पर अवैध भण्डारण तथा बेचान करने पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ख) उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाया गये 07 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किये गये तथा उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर श्री इन्द्रजीत पुत्र श्री नक्षत्र सिंह मैनेजर, गुरूनानक गैस एजेन्सी लीलांवाली संगरिया की सुपुर्दगी में दिए गए। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त 07 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने व विस्फोटक सामग्री होने के कारण अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ।

अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि प्रार्थी की एक वर्कशॉप (वाहन धुलाई सर्विस की दुकान) है, जहाँ वाहनों की धुलाई एवं मरम्मत का कार्य किया जाता है। उक्त 07 गैस सिलेंडर प्रार्थी के नहीं हैं। कुछ व्यक्तियों द्वारा ये सिलेंडर प्रार्थी की दुकान पर रख दिए गए थे। जिस समय सिलेंडर दुकान पर रखे गए, उस समय प्रार्थी स्वयं दुकान पर उपस्थित नहीं था। दुकान पर कार्य करने वाला लड़का अपने काम में व्यस्त

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

था जिसको इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं रखता था। प्रार्थी का इन सिलेंडरों से कोई संबंध या स्वामित्व नहीं है। उक्त 07 सिलेंडर जिन व्यक्तियों के हैं, वे अपने गैस कनेक्शन की प्रतिलिपि (कॉपी) आपके कार्यालय में प्रस्तुत कर अपने-अपने सिलेंडर स्वयं प्राप्त कर ले जाएंगे। इस संबंध में प्रार्थी का कोई भी रोल/दायित्व नहीं है। अतः निवेदन किया कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाए तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्याय प्रदान करने की कृपा करें।

राजकीय अभिभाषक ने दोरान बहस कथन किया है कि प्रवर्तन निरीक्षक हनुमानगढ़ द्वारा अप्रार्थी से मौके पर इण्डैन गैस के 05 भारतगैस कम्पनी के 2 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस के कालाबाजारी एवं व्यावसायिक उपयोग करना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3(1)(ख) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:-

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन निरीक्षक हनुमानगढ़ द्वारा जब्ती के समय मौके पर इण्डैन गैस कम्पनी के 05 तथा भारतगैस कम्पनी के 02 कुल 07 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। घरेलू गैस की कालाबाजारी एवं व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है।
2. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ख) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है जिसके लिए अप्रार्थी अवैध कारोबार का दोषी है।

अतः जब्तशुदा इण्डैन गैस कम्पनी के 05 तथा भारतगैस कम्पनी के 02 कुल 07 घरेलू गैस सिलेण्डर को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार आगामी कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ (राज.)

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़
अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ